



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1636]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 4, 2018/वैशाख 14, 1940

No. 1636]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 4, 2018/VAISAKHA 14, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मई, 2018

(आयकर)

का.आ. 1823(अ).—जबकि, आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान का परिहार करने और वित्तीय अपवंचन रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा कुवैत राज्य की सरकार के बीच एक करार के संशोधनकारी प्रोटोकॉल (जिसे इसके बाद कथित संशोधनकारी प्रोटोकॉल कहा गया है) पर नई दिल्ली में 15 जून, 2006 को हस्ताक्षर किए गए थे, जैसा कि इस अधिसूचना के अनुबंध में दिया गया है, उस पर कुवैत में 15 जनवरी, 2017 को हस्ताक्षर किए गए हैं;

और जबकि, कथित संशोधनकारी प्रोटोकॉल के प्रवृत्त होने की तारीख 26 मार्च 2018 है, जो कि कथित संशोधनकारी प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 3 के अनुसार, कथित संशोधनकारी प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए घरेलू आवश्यकताओं को पूरा किए जाने सम्बंधी अधिसूचनाओं में से बाद की अधिसूचना की तारीख है;

इसलिए, अब आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि इसके साथ संलग्न कथित संशोधनकारी प्रोटोकॉल के सभी उपबंध भारत संघ में लागू किए जाएंगे।

अनुबंध

'आय पर करों के संबंध में**दोहरे कराधान के परिहार तथा वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए****भारत गणराज्य की सरकार तथा कुवैत राज्य की सरकार के बीच****करार का संशोधनकारी प्रोटोकॉल**

कुवैत राज्य की सरकार तथा भारत गणराज्य की सरकार;

दिनांक 15 जून, 2006 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा कुवैत राज्य की सरकार के बीच करार (जिसे इस प्रोटोकॉल में "करार" कहा गया है) में संशोधन करने की इच्छा से,

इस प्रकार सहमत हुए हैं:

2499 GI/2018

(1)

अनुच्छेद 1

अनुच्छेद 2 (शामिल कर) के परिच्छेद (3) के उप-परिच्छेद ख) को हटाया जाएगा और निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"ख) कुवैत के मामले में:

- (1) कारपोरेट आयकर;
- (2) 1961 के कानून संख्या 23 के अनुरूप आयकर;
- (3) राष्ट्रीय कर्मचारी कानून को समर्थन के अध्ययन करा।

(इसके बाद इसे "कुवैत का कर" कहा गया है)

अनुच्छेद 2

करार के अनुच्छेद 26 का लोप कर दिया जाएगा और उसे निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"अनुच्छेद 26**सूचनाओं का आदान-प्रदान**

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचनाओं (दस्तावेजों और उनकी अधिप्रमाणित प्रतियों सहित) का आदान-प्रदान करेंगे, जो कि इस करार के उपबंधों को अथवा संविदाकारी राज्यों अथवा उनके राजनैतिक उप-प्रभागों अथवा स्थानीय प्राधिकरणों की ओर से लगाए गए प्रत्येक प्रकार एवं विवरण के करों के संबंध में घरेलू कानूनों के प्रशासन अथवा प्रवर्तन को क्रियान्वित करने के लिए अनुमानतः संगत हैं, जहां तक उनके अधीन कराधान व्यवस्था इस करार के प्रतिकूल नहीं हों। सूचना का आदान-प्रदान अनुच्छेद 1 और 2 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है।

2. संविदाकारी राज्य द्वारा पैराग्राफ 1 के अंतर्गत प्राप्त की गई कोई सूचना उस राज्य के आंतरिक कानूनों के अंतर्गत प्राप्त सूचना के समान ही गुप्त समझी जाएगी और उसे केवल उन व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (न्यायालय और प्रशासनिक निकाय शामिल हैं) को प्रकट किया जाएगा जो पैराग्राफ 1 में उल्लिखित करों के संबंध में करों के निर्धारण, उनकी वसूली करने, उनके प्रवर्तन अथवा अभियोजन के संबंध में अथवा अपीलों का निर्धारण करने या उपर्युक्त की चूक से संबद्ध हो। ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी सूचना का उपयोग केवल ऐसे ही प्रयोजन के लिए करेंगे। वे इस सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाहियों अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे। भले ही पूर्वोक्त सूचनाओं में कुछ भी कहा गया हो, संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई सूचनाएं दूसरे प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जा सकती हैं, जब ऐसी सूचनाओं का प्रयोग दोनों राज्यों तथा ऐसे प्रयोग के लिए प्राधिकृत आपूर्तिकर्ता राज्य के प्राधिकरणों के कानूनों के तहत ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए किया जा सकता हो।

3. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डालना नहीं होगा:

- क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा से हटकर प्रशासनिक उपाय करना;
- ख) ऐसी सूचना (जिसमें दस्तावेज और उनकी अधिप्रमाणित प्रतियां शामिल हैं) की सप्लाई करना जो उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं है;
- ग) ऐसी सूचना की सप्लाई करना जिससे कोई व्यापार, कारोबार, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक, गुप्त अथवा व्यापार प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो, जिसको प्रकट करना सार्वजनिक नीति (आर्डर पब्लिक) के प्रतिकूल हो।

4. इस अनुच्छेद के अनुसरण में यदि किसी संविदाकारी राज्य द्वारा किसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया जाता है तो दूसरा संविदाकारी राज्य अनुरोध की गई जानकारी को प्राप्त करने के लिए अपनी सूचना एकत्र करने वाले उपायों का उपयोग करेगा, चाहे दूसरे राज्य को अपने स्वयं के कर प्रयोजनों के लिए ऐसी सूचना की कोई आवश्यकता न हो। पिछले वाक्य में अन्तर्निहित दायित्व पैराग्राफ 3 की सीमाओं के अधीन है, किन्तु किसी भी स्थिति में ऐसी सीमाओं का यह अर्थ नहीं होगा कि संविदाकारी राज्य केवल इसलिए सूचना की आपूर्ति करने से मना करते हैं कि ऐसी सूचना में उसका कोई आंतरिक हित नहीं है।

5. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 3 के उपबंधों का अर्थ केवल इसलिए सूचना की आपूर्ति करने से मना करने के लिए किसी संविदाकारी राज्य को अनुमति देने के लिए नहीं लगाया जाएगा कि सूचना किसी बैंक, अन्य वित्तीय संस्थान, किसी एजेंसी या किसी न्यासी क्षमता में कार्यरत नामिती या व्यक्ति के पास है या यह किसी व्यक्ति के स्वामित्व हित से संबंधित है।

6. संविदाकारी राज्य राजस्व दावों की वसूली में एक दूसरे को सहायता देंगे। यह सहायता अनुच्छेद 1 और 2 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी इस पैराग्राफ के अनुप्रयोग का तरीका, परस्पर सहमति से तय कर सकते हैं।"

अनुच्छेद 3**प्रवृत्त होना**

संविदाकारी राज्य इस प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए अपने-अपने कानूनों के अंतर्गत अपेक्षित प्रक्रियाओं को पूरा करने के संबंध में राजनयिक माध्यमों से लिखित रूप में एक दूसरे को अधिसूचित करेंगे। यह प्रोटोकॉल, जो इस करार का अभिन्न अंग होगा, इन अधिसूचनाओं में से बाद की अधिसूचना की तारीख से प्रवृत्त होगा, तथा उसके बाद इस प्रोटोकॉल के प्रवृत्त होने की तारीख से प्रभावी होगा:

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं।

कुवैत में 17 रबी उल आखर 1438 हि., तदनुसार तारीख रविवार, 15 जनवरी 2017 को, हिन्दी, अरबी और अंग्रेजी में दो मूल प्रतियों में निष्पादित, सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक। भिन्नता की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ प्रभावी माना जाएगा।

भारत गणराज्य की सरकार
की ओर से

कुवैत राज्य की सरकार
की ओर से

सुनील जैन
भारतीय राजदूत
कुवैत

खलीफा म. हमादा
अवर सचिव
वित्त मंत्रालय'

[अधिसूचना सं. 21/2018/फा.सं. 501/03/88-एफटीडी-II]

रजत बंसल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th May, 2018

(INCOME TAX)

S.O. 1823(E).—Whereas the Protocol amending the Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the State of Kuwait for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income which was signed at New Delhi on 15th June, 2006 has been signed at Kuwait on the 15th January, 2017, as set out in the Annexure appended to this notification (hereinafter referred to as the said amending Protocol);

And whereas, the date of entry into force of the said amending Protocol is 26th March, 2018, being the date of the later notification of the completion of domestic requirements for the entry into force of the said amending Protocol, in accordance with Article 3 of the said amending Protocol;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies that all the provisions of the said amending Protocol, as annexed hereto, shall be given effect to in the Union of India.

ANNEXURE

'PROTOCOL

AMENDING THE AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

AND

THE GOVERNMENT OF THE STATE OF KUWAIT

FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

The Government of the Republic of India and the Government of the State of Kuwait,

Desiring to amend the Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the State of Kuwait for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income signed at New Delhi on the 15th day of June 2006 (in this Protocol referred to as "the Agreement")

Have agreed as follows:

Article 1

Subparagraph b) of paragraph (3) of Article 2 (Taxes Covered) of the Agreement shall be deleted and replaced by the following:

"b) in the case of Kuwait:

- (1) the corporate income tax;
- (2) the income tax as per Law No. 23 of 1961;
- (3) the tax subjected according to the Supporting of National Employees law.
(hereinafter referred to as "Kuwaiti tax").

Article 2

Article 26 of the Agreement shall be deleted and replaced by the following:

"Article 26

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information (including documents and certified copies thereof) as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Agreement or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2.

2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. Notwithstanding the foregoing, information received by a Contracting State may be used for other purposes when such information may be used for such other purposes under the laws of both States and the competent authority of the supplying State authorises such use.

3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

- a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
- b) to supply information (including documents and certified copies thereof) which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
- c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.

5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.

6. The Contracting States shall lend assistance to each other in the collection of revenue claims. This assistance is not restricted by Articles 1 and 2. The competent authorities of the Contracting States may by mutual agreement settle the mode of application of this paragraph."

Article 3**ENTRY INTO FORCE**

The Contracting States shall notify each other in writing through diplomatic channels of the completion of their domestic requirements for the entry into force of this Protocol. This Protocol, which shall form an integral part of the Agreement, shall enter into force on the date of the later of these notifications, and thereupon shall have effect from the date of entry into force of this Protocol.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized, have signed this Protocol.

Done at Kuwait on Sunday, 15th day of January, 2017 corresponding to the 17 Rabi-II 1438H, in two originals each in the Hindi, Arabic and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence, the English text shall prevail.

For the Government of the
Republic of India

Sunil Jain
Ambassador of India
Kuwait

For the Government of the
State of Kuwait

Khalifa M. Hamada
Under Secretary for
Ministry of Finance.

[Notification No. 21/2018/F.No.501/03/88-FTD-II]

RAJAT BANSAL, Jt. Secy.